क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक 3301 /क्षेकार्या/छपसंमं/दुर्ग/2010 दिनांक 8/3/10

प्रति,

प्रबंध निदेशक,
भिलाई इस्पात संयंत्र,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।

विषयः– उद्योग से हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में।

संदर्भ :–
1. उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.05.2009
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 264 दि. 07.05.2009
3. इस कार्यालय का पत्र क्र 307 दि. 11.05.2009
4. आपके उद्योग का पत्र क्र. 532 दि. 26.05.2009
5. उद्योग का निरीक्षण दिनांक 31.05.2009 एवं 02.06.2009
6. समाचार पत्र दैनिक भास्कर द्वारा लिये फोटो ग्राफ दि. 07.03.2010

--0--

समाचार पत्र दैनिक भास्कर द्वारा लिये फोटोग्राफ दि. 07.03.2010 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके उद्योग से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। पूर्व में भी इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि संयंत्र में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। पिछले कुछ दिनों के आवलोकन के दौरान आपके उद्योग के स्टील मेल्टिंग शॉप नं.–1 , पावर प्लांट नं.–1 एवं कोक ओवन बैटरियों की चिमनियों से अत्यधिक मात्रा मे उत्सर्जन पाया गया।

पूर्व में भी कई बार यह पाया गया कि सायं 5.00 बजे के बाद आपके उद्योग की चिमनियों से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, जिससे प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है। समय समय पर उद्योग के पर्यावरण प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को सूचित भी किया गया। यह खेद का विषय है कि बार बार सूचित करने के उपरांत भी आपके उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण में कमी नही हो रही है। स्पष्ट है कि उद्योग से हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में ठोस कार्यवाही व निगरानी नहीं की जा रही है।

आपको सूचित किया जाता है कि उद्योग से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्वयं पहल कर, की गई कार्यवाही की समीक्षा करें, जिससे उद्योग से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि उद्योग से हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में सार्थक कार्यवाही की जावे। यदि शासन के बार बार निर्देशों के उपरान्त भी प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक कार्यवाही नही की जायेगी तो ऐसी स्थिति में उद्योग एवं उद्योग प्रबंधन के विरूद्ध संवैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ0 सी0बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांक 8/3/10

पृ.क्रमांक 3302/क्षेकार्या./छपसंमं/दुर्ग/2010

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8.3.10

(डॉ0 सी0बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

C:\Users\CGECB\Desktop\Covering(Sir)-09(Sep).doc 224